No.1/07/2019-Coord.
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 9th August, 2019

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
3. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
4. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

Subject: Summary Record of discussions of 116th Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 18.06.2019 at 4:00 P.M.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 116th meeting **of** the National Commission for Scheduled Tribes was held on 18.06.2018 at 4.00 P.M in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(S.P Meena)
Assistant Director(Coord.)

Copy for necessary action to: A copy of the Summary Record of discussions of 116th meeting of NCST is enclosed. The action taken report in the matter may be intimated to Coord. Section by 26.08.2018.

(i) Director (RU-II & RU-III)
(ii) Assistant Director (RU-II & Coordination)
(iii) Assistant Director (RU-I, Estt. & OL)
(iv) Assistant Director (Admn.)
(v) Research Officer (RU-IV)
(vi) Consultant(RU-III)

Copy for information:

1. Sr.PPS to Secretary, NCST
2. PS to Joint Secretary, NCST
3. Secretary, MoTA, Shastri Bhawan, New Delhi.
4. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
5. NIC, NCST for uploading on the website.

6296-96
13/8/19

National Commission for Scheduled Tribes

Minutes of the 116th Meeting held on 18-06-2019

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 116 वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त

(फाईल सं. 1/7/2019–समन्वय)

दिनांक : 18.06.2019

समय : 04.00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003.

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. डॉ नंदकुमार साय, माननीय अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
3. श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा, माननीय सदस्य
4. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्या
5. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
6. श्री ए.के.सिंह, सचिव
7. श्री एस.के.रथ, संयुक्त सचिव
8. डॉ. ललित लट्टा, निदेशक
9. श्री डी.एस.कुंभारे, अवर सचिव
10. श्री एस.पी.मीना, सहायक निदेशक
11. श्री राकेश कुमार दूबे, सहायक निदेशक (प्रशासन)
12. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा)
13. श्री वाई.के.बंसल, अनुसंधान अधिकारी
14. श्री आर एस मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक
15. श्री हरिराम मीणा, वरिष्ठ अन्वेषक
16. श्री आर.के.शर्मा, परामर्शक
17. श्री विकास कुमार शर्मा, कानूनी सलाहकार

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मंदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिया गए:

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 **116.01**	**झारखंड के अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में 'तमारिया/तमाड़िया' के समावेशन के लिए प्रस्ताव के संबंध में।**

फाइल नं0 Inclusion/4/2019/RU-III

जनजातीय कार्य मंत्रालय (सी&एलएम प्रभाग) ने विद्यमान रीतियों के अनुसार टिप्पणियां/ विचार प्रस्तुत करने के लिए आरजीआई द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन सहित भारत के महापंजीयक कार्यालय से प्राप्त दिनांक 11.01.2019 के अ.शा. पत्र की प्रति भेजी है।

झारखंड सरकार ने दिनांक 01.11.2018 के पत्र द्वारा झारखंड की अनुसूचित जनजाति सूची में तमारिया/तमाड़िया के समावेशन के लिए पुनः विचार करने हेतु प्रस्ताव भेजा है। यही पत्र माननीय जनजातीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से इस मंत्रालय के दिनांक 08.02.2019 के पत्र द्वारा आरजीआई की टिप्पणियों/विचारों के लिए भेजा गया। इस मंत्रालय के दिनांक 08.02.2019 के पत्र के जवाब में आरजीआई से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। आरजीआई को दिनांक 15.03.2019 के पत्र द्वारा एक अनुस्मारक भी भेजा गया।

यह देखा गया कि मुंडा समुदाय के समानार्थी 'तमारिया मुंडा' से संबंधित आरजीआई की सिफारिश, जो कि झारखंड सरकार का एक प्रस्ताव है, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में तमारिया/तमाड़िया के समावेशन के लिए है। कथित प्रस्ताव पर झारखंड राज्य द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त औचित्य/सूचना आरजीआई की टिप्पणी के लिए भेजा गया था। राज्य सरकार से इस संदर्भ में आरजीआई का जवाब प्रतीक्षित है।

जैसे कि इस पत्र में आरजीआई द्वारा सिफारिश की गई समुदाय के नाम की शब्दावली तथा झारखंड सरकार द्वारा सिफारिश की गई समुदाय के नाम की शब्दावली अलग है, इसलिए भारत के महापंजीयक कार्यालय से यह पुष्टि करने के लिए अनुरोध किया गया है कि झारखंड सरकार द्वारा सिफारिश की गई समुदाय का नाम तथा आरजीआई द्वारा सिफारिश की गई समुदाय का नाम एक ही है या अलग है तथा यह भी स्पष्ट करें कि उनके विचार से झारखंड की अनुसूचित जनजाति की सूची में कौन से समुदाय को शामिल करना उचित होगा।

भारत के महापंजीयक कार्यालय का विचार है कि अनुसूचित जनजाति के मुंडा के समानार्थी के रूप में तमारिया मुंडा को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर विचार किया जाए।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

AGENDA ITEM NO. 116.01	**Proposal for inclusion of 'Tamaria/Tamadia' Community in Scheduled Tribes (STs) list of Jharkhand- regarding.**

F.NO. Inclusion /4/2019/RU-III

The Ministry of Tribal (C&LM Division) has sent a copy of D.O. letter dated 11.01.2019 received from the Office of Registrar General of India along with the representation on the above subject for furnishing the comments/views as per extant modalities.

Govt. of Jharkhand vide letter dated 01.11.2018 has sent the proposal for reconsideration for inclusion of Tamaria/Tamadia Community in STs list of Jharkhand. The same was forwarded to RGI for their comments/views vide the Ministry of Tribal Affairs letter dated 8.2.2019 with the approval of Hon'ble MTA.

It is observed that the recommendation of RGI relates to 'Tamaria Munda' as a synonym of Munda' community, whereas the proposal of State Government of Jharkhand is for inclusion of Tamaria/Tamadia community in the Scheduled Tribes list in respect of Jharkhand State. The additional justification/information furnished by the State of Jharkhand on the said proposal had been sent to RGI for comments.

As the nomenclature of community recommended by RGI and by the State Government of Jharkhand differ, the ORGI was requested to confirm whether it is now recommended for inclusion of another community than the one recommended by State Government of Jharkhand and clarify as to which community in its view is eligible to be included in the ST list of Jharkhand.

The ORGI is of the view that Tamaria Munda may be considered for its inclusion in STs list of Jharkhand as a Synonym of Munda a Scheduled Tribe.

उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई, यह पाया गया कि आरजीआई की झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 'मुंडा' अनुसूचित जनजाति के समानार्थी के रूप में तमरिया/तमड़िया समुदाय के समावेशन के लिए संस्तुति नहीं है। अतः आयोग इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा।

(The matter was discussed in details; it was observed that the proposal is not in accordance with the prescribed guidelines for inclusion of a community in the ST list. Accordingly, the Commission recommends that the Ministry may first covey their decision in the proposal and thereafter refer to NCST along with views/comments of ORGI.)

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Agenda itam No. 116.02	**Approval of draft special report on Rourkela Steel Plant, Odisha** राउरकेला इस्पात संयंत्र पर विशेष मसौदा रिपोर्ट पारित करने हेतु

आयोग द्वारा तैयार राउरकेला इस्पात संयंत्र, ओड़िशा पर विशेष मसौदा रिपोर्ट आयोग के समक्ष विचारार्थ रखी गयी । राउरकेला इस्पात संयंत्र, ओड़िशा पर विशेष मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा हुई, आयोग ने यह निर्णय लिया कि रिपोर्ट पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपनी राय प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

(Draft Special Report on Rourkela Steel Plant, Odisha was discussed and it was decided that the comments/views of Hon'ble Chairperson, Vice-Chairperson and Members to be incorporated at first. Thereafter, the Commission will take a decision in the next meeting.)

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 **116.03**	भारत का संविधान के आठवीं अनुसूची में खासी एवं गारो भाषाओं का समावेशन

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनरद के. संगमा से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें भारत का संविधान के आठवी अनुसूची में खासी एवं गारो भाषाओं का समावेशन करने के लिए भारत सरकार से आयोग के समर्थन एवं सिफारिश के लिए अनुरोध किया गया है। यह सूचित किया गया है कि मेघालय विधानसभा ने एक विशेष सत्र में संकल्प का अनुमोदन किया तथा इस पर आवश्यक विचार के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

मामला अतिआवश्यक है क्योंकि खासी एवं गारों समुदायों के लोग भारतीय संविधान के भीतर उनकी भाषाओं को संवैधानिक रूप से सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उक्त दोनों भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए यह लंबे समय से लंबित मांग विभिन्न तिमाहियों से बढ़ रही है क्योंकि एक बार इसे आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो इससे वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने, भाषा के कार्यान्वयन के लिए कोष प्राप्त करने, भाषा बोलने वालों के लिए नौकरी का अवसर जैसे लाभ मिलते हैं, एक बार इसे शामिल कर लिया जाता है तो भाषा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में एक विषय बन जाएगा और अन्य बहुत से अत्यधिक लाभ मिलते हैं तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि दोनों भाषा सभी संबंधित क्षेत्रों में संरक्षित और संबंधित है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Agenda item No. 116.03

Inclusion of Khasi and Garo languages in Eighth Schedule of the constitution of India

Shri Conrad K. Sangma, Hon'ble Chief Minister, Meghalaya vide D.O No. Pol.112/2013/Pt/66 dated 28-05-2019 had requested Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes for support and recommendation to the Govt. of India for inclusion of Khasi and Garo Languages in Eight Schedule of the Constitution of India. It has been mentioned that both the Khasi and Garo Languages have been notified as Associate Offical Languages of the State of Meghalaya as per Section 4 of the Meghalya State Language Act, 2005. It has been informed that Meghalaya Legislative Assembly, in a Special Session, has approved the resolution and submitted to Ministry of Home Affairs for necessary consideration on 14.12.2018. In response to the Govt of Meghalaya letter, the Ministry of Home Affairs Vide Letter No. IV-14014/04/2014-NI – II dated 22.03.2019 has informed that the matter is under their consideration.

The Hon'ble C.M. Meghalaya stated that the matter is of urgent nature as the Khasi and Garo communities have been struggling over the years through constitutional means to achieve for their respective languages to find an honourable space within the Indian Constitutional framework. This long pending demand for inclusion of the said two languages in the Eighth Scheduled keeps on increasing from various quarters because of the advantages the language gets once it is included in the Eighth Schedule such as, getting the annual Sahitya Akademi awards, getting funds for implementation of the language, job opportunities for the speakers of the language once it is included, the language becomes a subject in the Union Public Service Commission examination and many other unaccountable advantages and also will ensure that both the languages are preserved and promoted in all aspects.

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(उपरोक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के बाद, आयोग ने निर्णय लिया कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में खासी एवं गारो भाषाओं के समावेशन का प्रस्ताव मेघालय सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।)

The above issue was discussed in details, the Commisson decided that the proposal to include Khasi & Garo languages in the Eighth Schedule of the Constitution of India should be referred through the Ministry of Tribal Affairs by Government of Meghalaya.

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्यसूची मदः– 116.04	**Additional Agenda** आयोग की 115वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के एक दल ने महाराष्ट्र राज्य का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं को आयोग के संज्ञान में लाया गया है और आयोग ने पाया कि रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं में अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार को रोकने के प्रभावी कदम उठाने के प्रयास करने होंगे। इस संदर्भ में आयोग की ओर से सख्त अनुशंसाएं की जाने की आवश्यकता है। अतः आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का पुनः निरीक्षण किया जाए एवं इसमें आयोग की अनुशंसाओं जो कि अत्याचार को रोकने में प्रभावी कदम उठाए जा सके। The decision was taken in the 115th meeting of the Commission that the Commission will visit to the state of Maharashtra in the case of Payal Tadavi under tha Chairmanship of Hon'ble Chairperson and submit its report to the Commission. The Commission found that the recommendation given in the report Should be effective to protect Scheduled Tribes people from any such atrocities. It was decided by the Commission that report to be re-examined and include some strigent provisions to stop atrocities on Scheduled Tribes.

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्यसूची मदः– 116.05	**Additional Agenda** श्री राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने एक राजनीतिक भाषण के मुक्त प्रवाह में भारत वन अधिनियम, 1927 के धारा 66 में और इसके विभिन्न उप–वर्गों के अंतिम संशोधन को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके मुवक्किल द्वारा जन–विरोधी और मानव विरोधी अधिकारों पर विचार करने वाले संशोधनवादी और नए कानून के राजनीतिक भाषण के दौरान व्यापक सार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार उनके मुवक्किल का एक अंतनिर्हित हिस्सा है। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (घ) आर/डब्ल्यू अनुच्छेद 21 के अंर्तगत इस देश की नागरिकता के साथ अपनी सभी अधिकार का प्रयोग करने और राजनीतिक प्रवचन में शामिल होने का भी उनका अधिकार है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और लिया कि इस बिंदु पर स्पष्टीकरण के लिए विधि मंत्रालय के साथ–साथ वन के प्रमुख संरक्षक को एक पत्र जारी किया जाना चाहिए। The Counsel of Shri Rahul Gandhi in her reply stated that her client was speaking about Amendment to Section 66 and its various sub-Sections of the India Forest Act, 1927. During the Speech Shri Rahul Gandhi made a reference to the proposed Amendment to Section 66 of the Forest Act which interalia provides to apprehend any person engaged in the commission of any offence under the Act by using as little force including fire arms by the Forest Officer. Shri Rahul Gandhi stated in the speech that including use of fire arms could kill a person in the forest that could be tribal. Using of fire arms can not be treated as little. The reply given by the Advocate of Shri Rahul Gandhi was considered by the Commission in its meeting. The Commission felt that the proposed Provision that use of force including fire arms

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

	needs to be re-considered by the Ministry of Environment & Forest, who made such proposal which is detrimental to the lives of Tribals. Accordingly, Commission decided, in the meeting that the matter may be referred to the Ministry of Environment & Forest to reconsider such provision in the proposed Amendment to the Forest Act.

08.08.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi